

कार्यालय प्रधान आयुक्त,
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर
CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX COMMISSIONERATE, JAIPUR
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, सी- स्कीम, स्टेचू सर्किल, जयपुर
NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, C-SCHEME, STATUE CIRCLE,
JAIPUR
(सतर्कता शाखा/ Vigilance Branch)

कार्यालय आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन फा.सं. F. No. 11013/2/2014-Estt (A-III) दिनांक 16-07-2015 के दिशानिर्देशों की अनुपालना में, दिनांक 10.05.2024 के आदेश द्वारा गठित की गई आंतरिक शिकायत समिति में आंशिक परिवर्तन करते हुए निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया जाता है:

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती | पद नाम व तैनाती का स्थान | फोन नं. एवं मेल आईडी | समिति का गठन |
|----------|------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 1. | सुश्री आर्निका यादव | संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर | फोननं: 8948284582 ई-मेलआईडी: arnika.yadav@gov.in | अध्यक्ष |
| 2. | सुश्री रेणु वहिया | सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर | फोननं: 9729153193 ई-मेलआईडी: renudahiya.92@gov.in | सदस्य |
| 3. | श्रीमती शालिनी वर्मा | अधीक्षक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग- अजमेर रूरल, अजमेर | फोन नं: 9414157051 ई-मेलआईडी: shaliniv.g109101@gov.in | सदस्य |
| 4. | श्री विजय प्रकाश वर्मा | सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर | फोननं: 9427102201 ई-मेल आईडी: vijaypv.d079101@gov.in | सदस्य |
| 5. | डा. मृदुल भसीन मुस्कान | 45, हथरोई जयपुर-302001 | फोन नं 9414064960 ई-मेलआईडी: mridul_b50@rediffmail.com | सदस्य (धारा 4 (2) C के अंतर्गत) |

2. केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर में कार्यस्थल पर किसी भी महिला द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत, आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष की जा सकती है। उक्त समिति अधिनियम के अध्याय 4 तथा 5 के प्रावधानों के तहत परिवाद की जाँच तथा आवश्यक कार्यवाही करेगी।

3. आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष तथा सदस्य, समिति के गठन की तिथि से 1 वर्ष तक पदधारित करेंगे।

4. गैर सरकारी सदस्य (क्रम सं. 5) को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 के नियम 3 के तहत फीस तथा भत्ते देय होंगे।

5. उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर को दिनांक 31.01.2026 को प्रस्तुत करेगी।

6. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से व्यथित कोई भी महिला अपनी शिकायत ऑनलाइन शिकायत तंत्र 'SHe Box' (<http://www.shebox.nic.in/>) पर भी दर्ज करा सकती है।

यह आदेश प्रधान आयुक्त महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by

Rajesh Agarwalla

Date: 28-05-2025

19:45:13 (Rajesh Agarwalla)

सहायक आयुक्त (का.एवं सत.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :

1. अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर जोन, जयपुर।
2. आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर / उदयपुर / जोधपुर।
3. आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय (अपील्स), जयपुर / जोधपुर।
4. आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय (अंकेक्षण), जयपुर / जोधपुर।
5. आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जोधपुर (मुख्यालय- जयपुर)।
6. उप/ सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग- वीकेआईए, जयपुर/ जयपुर(नार्थ)/ पिंक सिटी/ एम आई रोड/ जयपुर(ईस्ट)/ सीतापुरा/ वैशालीनगर/ जयपुर(साउथ सेंटरल)/ मोती झूंगरी/ अजमेर सिटी/ अजमेर रूरल ।
7. अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को व्यक्तिगत प्रति।
8. मुख्य लेखाधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (Hqrs./ DDO)।
9. समस्त शाखा प्रभारी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर (मुख्या./ सेवोत्तम/ कर-अपवंचना/ तकनीकी/ डी.जी.ए.आर.एम./ विधि/ पुनरावलोकन/ न्यायनिर्णय/ वसूली/ सिस्टम/ सेरा-ऑडिट/ प्रशिक्षण/ सी.आर.यु./ राजभाषा/ सी.सी.यू.)।
- ✓ 10. अधीक्षक (सिस्टम), विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. सूचना पट्ट।

सहायक आयुक्त